"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 — आश्विन 14, शक 1940

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा,छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते है जो कि राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 13 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(1) संतान पालन अवकाश को छोड़कर, अवकाश अथवा अवकाश में वृध्दि हेतु आवेदन, प्रपत्र-1 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा संतान पालन अवकाश अथवा अवकाश में वृध्दि हेतु आवेदन, प्रपत्र-1अ में, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे अवकाश अथवा अवकाश में वृध्दि स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये."

2. नियम 38-ख के पश्चात् ,निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"38-ग. संतान पालन अवकाश- (1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा.

(2) अधिकार के रुप में अवकाश का दावा नहीं किया जा सकेगा.

(3) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, "संतान"से-अभिप्रेत है,-

(क) अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रुप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए); या

(ख) सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एन 1.1, दिनांक 1 जून,2001 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम चालीस प्रतिशत नि:शक्तता वाली संतान (आयु सीमा का कोई बंधन नहीं).

(4) उप-नियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी जायेगी, अर्थात्:-

(क) यह एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा. यदि स्वीकृत किये गये अवकाश की कालावधि, आगामी कैलेण्डर वर्ष में भी जारी रहती है तो बारी की गणना ऐसे वर्ष में की जायेगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किये गये अवकाश का अधिक भाग आता है. कैलेण्डर वर्ष से अभिप्रेत है वर्ष के 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि.

(ख) यह सामान्य रुप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा. तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि, उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है.

(5) संतान पालन अवकाश की अवधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा.

(6) संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरुध्द विकलित नही किया जायेगा तथा यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा.

(7) इस अवकाश का खाता, पृथक से संधारित किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाएगी."

3. प्रपत्र 1 के पश्चात्, निम्नानुसार जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"प्रपत्र–1अ
(नियम 13 देखिये)
संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र

1.	आवेदक का नाम	....
2.	पदनाम	....
3.	विभाग / कार्यालय / अनुभाग	....
4.	संतान का नाम जिसके लिए संतान पालन अवकाश का आवेदन किया जा रहा है	....
5.	संतान की जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
6.	संतान के 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	....
7.	क्या संतान दो बड़े बच्चों में शामिल है	हां / नही
8.	खाते में शेष अर्जित अवकाश (आवेदन की तिथि पर)	....
9.	अवकाश की अवधि– दिन	....................से....................तक
	पूर्वयोजित / अनुयोजित अवकाश, यदि कोई हो	....
10.	आवेदित अवकाश का / के कारण	....
11.	आवेदन की तिथि तक उपभोग की गई कुल संतान पालन अवकाश	....
12.	(क) क्या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी गई है	हां / नहीं
	(ख) यदि हां, तो अवकाश अवधि के दौरान पता	....
13.	पिछले अवकाश से लौटने की तिथि, उस अवकाश की प्रकृति एवं अवधि	....

दिनांक : ....

आवेदक का हस्ताक्षर........................

कर्मचारी कोड संख्या ....

नियंत्रक अधिकारी की अभियुक्तियां

अवकाश अनुमोदित किया जाता है/नहीं किया जाता है

दिनांक : ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय ....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस.के.चक्रवर्ती,संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 4th October 2018

NOTIFICATION

No.F 2014-71-00183/Finance /Rules/IV. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (leave) Rules, 2010, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rules (1) of Rules 13, the following shall be substituted, namely:-

"(1) An application for leave or for an extension of leave except for Child Care Leave must be made in Form-1and application for an extension for Child Care Leave must be made in Form-1A, to the Competent Authority to grant such leave or extension."

2. After rule 38-B, the following shall be added, namely :-

"38-C. Child Care Leave- (1) subject to the provisions of this rule, a woman Government servant may be granted child care leave by the Competent Authority for a maximum period of 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children.

(2) The leave cannot be claimed as a matter of right.

(3) for the purposes of sub-rule (1), "Child" means,-

(a) a child below the age of eighteen years (including legally adopted child); or

(b) a child with a minimum disability of forty percent (without any age limilt) as specified in Notification No. 16-18/97-N1.1 dated the 1st June, 2001, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment.

(4) Grant of child care leave to a woman Government servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely :-

(a) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year. If the period of leave sanctioned also continues into the next calender year then the spell shall be counted in such year in which the leave was applied or in which major part of the leave applied falls. Calender year means the period commencing from 1st january 31st December of the year.

(b) Ordinarily, it shall not be sanctioned during the probation period. However, in special circumstances if the leave is sanctioned during the probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted.

(5) During the period of child care leave, the woman Goverment servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(6) Child care leave shall not be debited againts the leave account and this leave may be combined with any other kind of leave.

(7) The account of this leave shall be maintained separately and entry shall be made in the service book of the concerned women Government servant."

3 After Form-1, the following shall be added, namely:-

"FORM-1A

(See rule 13)

APPLICATION FOR CHILD CARE LEAVE

1.	Name of the Applicant	....
2.	Designation	....
3.	Department/Office/Section	....
4.	Name of Child for whom Child Care leave is applied for	....
5.	Date of Birth of the Child (Attach birth certificate)	....
6.	Date on which child will be attaining 18 years	....
7.	Is the child among the two eldest Children	Yes/No
8.	EL in credit (as on date of application)	....
9.	Period of Leave Days	From.................To..................
	Prefix/Suffix of holiday, if any	....
10.	Reason (s) for leave applied for	....
11.	Total Child Care Leave availed till date	....
12.	(a) Whether permission to leave headquarters is requested	Yes/No
	(b) if yes, Address during leave period	....
13.	Date of return from last leave, nature and period of that leave	....

Date........................ Signature of applicant ....

Employee Code No.................................

Remarks of Controlling Officer

Leave Recommended/Leave Not Recommended

Date: .... Signature ....

Designation ....

Office..

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K.CHAKRABORTY, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.